

बाइक सवार की मौत के लिये मेयर, कमिश्नर, व चीफ़ इन्जीनियर जिम्मेदार

फरीदाबाद (म.मो.) दिनांक 22-23 नवम्बर की रात को मदन लाल नामक एक मोटर साइकिल सवार रोजमर्रा की तरह सेक्टर 6 की एक सड़क से अपने काम पर जा रहा था कि स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से सड़क में बना एक जानलेवा गड्ढा उसे दिखाई नहीं दिया। बाइक उसमें उलझ कर ऐसी गिरी कि मदनलाल की मौत पर ही मौत हो गयी। पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत कार्यवाही करते हुए शव का पोस्टमार्टम करा कर उसे परिजनों के हवाले कर दिया। शहरी पक्की सड़क पर गड्ढे होने का क्या मतलब है? नागरिकों से इतने भारी भरकम टैक्स वसूलने वाली सरकार और उसकी नगर निगम हज़ारों करोड़ का बजट बनाती किस लिये है? यदि सड़कों के गड्ढे और सीवरों के मैन होल खुले ही रहने हैं और ऊपर से स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलानी तो आम आदमी को नगर निगम के नाम पर मोटे सांडों सरीखे अफ़सर पालने का क्या लाभ?

सुधी पाठक शायद भूले नहीं होंगे कि करीब 3 वर्ष पूर्व सेक्टर 17-18 की विभाजक सड़क के किनारे एक खुले मैदान में रात की ड्यूटी से घर जाता एक बिजली कर्मचारी गिर कर मर गया था कर्मचारियों व मीडिया के दबाव में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत एक हल्का सा मुकदमा दर्ज किया था। इसमें बहुत ही छोटे



कीड़े-मकौड़े मरते रहते हैं सरकार चलती रहती है

कर्मचारियों को दोषी बनाया गया था। बाद में वह मुकदमा भी रफा दफा कर दिया गया। उस समय भी यदि मेयर निगमायुक्त और मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर के तीनों को हवालात में बन्द कर देते तो आज मदन लाल को सड़क के गड्ढे में गिर कर जान न गंवानी पड़ती। आज भी यदि मदन लाल की मौत के असली जिम्मेवार इन तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके हवालात में बन्द कर दिया जाये तो भविष्य में न तो किसी सड़क में गड्ढा मिलेगा और न ही कोई मैदान खुला।

इन्हीं दिनों में थाना बल्लभगढ़ के इलाके सरूरपुर में एक कारखाने की निर्माणाधीन छत गिरने से मज़दूर की मौत होने पर पुलिस ने कारखाना मालिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसी

तरह गुडगांव में रैपिड मेट्रो का एक गार्ड गिरने से मज़दूर की मौत होने पर भी इसी धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मदन लाल के मामले में भी यदि यही मौत किसी कारखाने के भीतर बने गड्ढे में गिरकर हो जाती तो तुरन्त से पहले मालिकान के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। लेकिन मदन लाल चूँकि सरकारी अफ़सरों की लापरवाही, रिश्वतखोरी व हरामखोरी का शिकार हुआ है इसलिये किसी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। होने के आसार भी नहीं हैं क्यों कि मरने वाला फतेहाबाद का रहने वाला एक आम आदमी था। वह यहाँ शराब के एक ठेकेदार का अदना सा मुलाजिम था। यदि उसकी जगह कोई प्रभवशाली व्यक्ति होता तो इन रिश्वतखोरों को पता चलता कि लापरवाही और हरामखोरी कितनी भारी पड़ सकती है।

शेष पेज 2 पर

मुख्यमन्त्री काफ़िले ने पूर्व आई ए एस की जान ले ली

करनाल (म.मो.) दिनांक 26 नवम्बर को पानीपत से करनाल हवाई पट्टी की ओर बेइन्तहा तेज़ रफ़्तार से जाते मुख्यमंत्री के काफ़िले ने सेवा निवृत्त आई ए एस अधिकारी श्री राजेश्वर दयाल श्योकंद की जान ले ली। रोज़ाना की तरह मुख्यमन्त्री के आगे पीछे चलने वाली 20-30 गाड़ियों के काफ़िले में एक कार पूर्व मंत्री एवं मौजूदा विधायक पानीपत ओ पी जैन की भी थी। जैन खुद तो मुख्यमन्त्री के साथ बैठे थे। करनाल सेक्टर 6-7के निकट जैन की कार ड्राइवर के नियन्त्रण से बाहर होकर डिवाइडर के ऊपर से कूद कर विपरीत दिशा से आती एवं दिल्ली की ओर जाती हुई कार से ऐसी टकराई कि उसमें बैठे श्री श्योकंद को लील गयी। दोनों गाड़ियों के 4 अन्य लोग घायल भी हो गये।

सरकार इसे दुर्घटना कहती है। लेकिन यह दुर्घटना नहीं बल्कि सी एम के नेतृत्व में होनेवाली गुंडागर्दी है जो कभी कभार नहीं रोज़ाना कहीं न कहीं होती रहती है, जब 200 की रफ़्तार से गाड़ियाँ दौड़ाई जायेगी तो लोग तो मरेंगे ही। इससे पहले भी सीएम के ऐसे काफ़िलों में कई पुलिसकर्मी बेमौत मारे जा चुके हैं। सभी सड़कों पर जगह-जगह वाहनों की गति सीमा के सूचक लगे हैं। किसी भी सड़क पर 90 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से कार चलाना अपराध है। पकड़े जाने पर 400 रुपये जुर्माना तो कम से कम वसूला ही जाता है। लेकिन राज्य के सी एम के नेतृत्व में बीसियों तीसियों कारों का काफ़िला 150 से 200 की रफ़्तार से दौड़ कर यह अपराध सरं आम रोज़ाना करता है। इतना ही नहीं, पुलिस गाड़ियों के बजते सायरेन व गाड़ियों से आधे बाहर निकले पुलिसिये जिस तरह से डंडे घुमाते व बंदूकें दिखाते हैं, किसी भी राह चलते को आतंकित करने के लिये पर्याप्त होता है। यह सारा दृश्य मानों कह रहा है कि जिसे जान प्यारी है सड़क छोड़ दे राज्य के महाराजा गुजर रहे हैं। आम आदमी इनके लिये किसी कीड़े-मकौड़े से अधिक नहीं होता, जिसके मरने जीने की इन्हें कोई चिंता नहीं होती।

पुलिस गाड़ियों के वजते सायरेन व गाड़ियों से आधे बाहर निकले पुलिसिये जिस तरह से डंडे घुमाते व बंदूकें दिखाते हैं, किसी भी राह चलते को आतंकित करने के लिये पर्याप्त होता है। यह सारा दृश्य मानों कह रहा है कि जिसे जान प्यारी है सड़क छोड़ दे राज्य के महाराजा गुजर रहे हैं।

शेष पेज 2 पर

कांग्रेस को वैतरणी पार करा पायेंगे राहुल?

सदीय चुनाव सिर पर हैं। हालात का कोई भरोसा नहीं न जाने कब चुनाव की रणभेरी बज उठे वैसे 2014 भी अब कोई ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। गत साढ़े आठ साल से सत्ता का रसास्वादन करती आ रही कांग्रेस को इस दौरान किये अपने सारे घपले घोटाले याद आ रहे हैं। उसने व उसके तमाम लुटेरे गिरोहों ने जिस तरह से देश की जनता को धोखा देकर लूटा है, उन्हें याद करते हुए कांग्रेस को अपनी नैया डूबती नज़र आ रही है। बेशक मनीष तिवारी, दिग्गी राजा व सिब्लल जैसे बेशर्म भैंपू जनता को बरगलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं; इसके लिये वे गोयबल्स के उस फार्मूले पर चल रहे हैं जिसमें बताया गया है कि सौ बार दोहराने से झूठ भी सच में बदल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी वैतरणी पार होती नज़र नहीं आ रही। इस काम के लिए राहुल बाबा

को उस पवित्र गाय की तरह इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया है जिसकी पूंछ पकड़ कर इसे पार किया जा सकता है। इसी के मदे नज़र राहुल को आगामी चुनावों का प्रभारी बनाया गया है। दूसरे शब्दों में आने वाले संसदीय चुनावों की पूरी रूप रेखा व रणनीति राहुल बाबा बनायेंगे ताकि जीत का सेहरा उनके सिर पर बांध कर प्रधानमंत्री पद के लिए उनका दावा और मजबूत एवं स्वाभाविक बनाया जा सके। परन्तु आम आदमी की तरह सभी कांग्रेस भी जानते हैं कि किसी भी चौपाये के विपरीत यह 'गाय' तैरना नहीं जानती, यह कांग्रेस को वैतरणी तो क्या पार करायेगी जब खुद ही डूब जायेगी।

इसी हकीकत को समझते हुए इनकी मंमी ने कुशल तैरकों के रूप में उनके चारों तरफ़ दिग्गी, जनार्दन द्विवेदी तथा ए के एंटनी (रक्षा मन्त्री) के नेतृत्व में तीन टीमों नियुक्त कर दी हैं। असल में



सारा चुनावी काम तो यही टीमों करेंगी। और तो और राहुल को कहां क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहां कागज फाड़ने है तथा कहां कुर्ते की बांहें ऊपर करनी हैं, यही लोग बतायेंगे। केवल बतायेंगे ही नहीं बल्कि रिहर्सल भी करवायेंगे। राहुल को करीब से जानने वाले भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक, स्वर्गीय राजीव गांधी की तरह इनकी भी राजनीति में कोई रुचि नहीं है। जिस तरह स्वर्गीय संजय

गांधी के न रहने की वजह से यकायक राजीव को पकड़ कर राजगद्दी पर बैठा दिया गया था, ठीक वैसे ही जोरा जबरी इन्हें भी राजनीति में घसीटा जा रहा है। लेकिन आज के राजनीतिक हालात उस वक्त जैसे सुखद नहीं हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश में हुए विधान सभा चुनावों में राहुल की अच्छी खासी फ़जीहत हो चुकी है। और तो और खानदानी अमेठी संसदीय सीर में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी।

पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल ने जिस 'आक्रामक' शैली में जनता की दुर्दर्शा के लिये व्यवस्था को दोषी ठहराते हुए उसे बदलने का आह्वान किया था वही व्यवस्था इनका पालन पोषण करते हुए इनका इस्तेमाल कर रही है। यदि राहुल वास्तव में ही व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो अपने चारों ओर जुटे व्यवस्था के उन संस्थापकों को पकड़ कर जेल क्यों

नहीं भेजते? उनके द्वारा लूटी गयी देश की संपदा को क्यों नहीं जनता के व्यापक हित में खर्च करते? यदि वे इतना भर कर दें तो फिर उन्हें चुनाव जीतने के लिये न तो किसी प्रचार अभियान की ज़रूरत रहेगी और न उन तीन टीमों की। परन्तु वे ऐसा कभी कर नहीं सकते क्योंकि वे तो हैं ही उनके मुखौटे। वे तो सब कुछ उनको सत्ता में बनाये रख कर उनकी लूट को कायम रखना चाहते हैं।

जहां तक जनता का सवाल है, जिसका आह्वान राहुल कर रहे हैं, यदि उन्होंने ही व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो फिर वह राहुल व उनकी चौकड़ी को अपने सिर पर काहे को बैठा कर रखेगी और जिस दिन जनता इस परिवर्तन की ठान लेगी उस दिन उसे किसी राहुल किसी सोनिया किसी आडवाणी आदि के आह्वान की ज़रूरत नहीं रह जायेगी। वह इन सब को उठा कर कूड़ेदान में फेंक देगी।